

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर।
पत्रांक ९७७ / १४-१ दिनांक, सुलतानपुर ०३-०९ — २०२०
सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा०वा०, सरयू वृत्त,
उ०प्र०, अयोध्या।

विषय:- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एम०ए०जी०वाई०) वल्लीपुर, विकास खण्ड— कूरेभार के अन्तर्गत जोन-२ (रतनपुर) पेयजल पाईप लाइन बिछाने से प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद—सुलतानपुर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, जल निगम द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना (एम०ए०जी०वाई०) वल्लीपुर, के अन्तर्गत जोन-२ (रतनपुर) जिला— सुलतानपुर में कुल ०.१२१५ हे० [आरक्षित (०.१०९५ हे०) और संरक्षित (०.०१२४५)] हे० पर पाईप लाइन बिछाने से प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४ प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

पत्रांक:- / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि— अधिशाषी अभियन्ता, अति० निर्माण खण्ड, उ०प्र०, जल निगम, सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।